| | | तारीख हुक्म | |
|---|---|---|---|
| | **एकल पीठ**<br>**श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य**<br><br>**उपस्थितः—**<br>(1)श्री राम सुख चौधरी,उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से<br>(2)अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर इकतरफा कार्यवाही की गई<br><br>**निर्णय** **दिनांक : 13.03.2019**<br><br>यह रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कल क्टर, टौंक द्वारा प्रकरण संख्या 148 / 2002 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2002 द्वारा अभिशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।<br><br>2— संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, देवली ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी को ग्राम छातडी में दिनांक 30—6—63 को आराजी खसरा नंबर 7 में से 10 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी। लेकिन उक्त आराजी पर अप्रार्थीका कब्जा काश्त नही है। सैटलमेंट में उक्त भूमि सिवायचक आई तथा भू प्रबन्ध के बाद विवादित आराजी पर बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आवंटन का हवाला देकर सैटलमेंट से बने नये खसरा नंबर 117,118,125,व182 रकबा 1.55 है.भूमि पर गैर खातेदारी का नामा. संख्या 95 दिनांक 26—5—92 को तथा खातेदारी का नामा.संख्या 111 खोला गया जो अवैधानिक है तथा नियमा के प्रतिकूल है। चूंकि उक्त आराजी बीसलपुर परियोजना क्षेत्र के डूब क्षेत्र में आ चुकी थी तथा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 का प्रकाशन भी हो चुका था किन्तु इसके बावजूद अप्रार्थी को तत्कालीन तहसीलदार देवली ने बिना किसी सक्षम अधिकरी की अनुमति के गैर खतोदार व खातेदारी अधिकार दिये गये जो भी अवैधानिक है। अतः नामा. संख्या 95 व 11 को निरस्त करने व प्रकरण को राजस्व मण्डल में प्रेषित करने का निवेदन किया।<br>3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए, जिनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही की गयी । इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी पक्ष की बहस सुन कर अपने निर्णय दिनांक 14.11.2002 द्वारा यह रेफरेंस राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।<br>4. इस न्यायालय में रेफरेंस प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण पक्ष को नोटिस दिये गये, जो बावजूद सूचना के उपस्थित नही है, जिनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही की गयी।<br><br>5. हमने प्रार्थी पक्ष के योग्य उप राजकीय अधिवक्ताग की बहस सुनी।<br><br>6. योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी को ग्राम छातडी में दिनांक 30—6—63 को आराजी खसरा नंबर 7 में से 10 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी। लेकिन उक्त आराजी पर अप्रार्थीका कब्जा काश्त नही है। सैटलमेंट में उक्त भूमि सिवायचक आई तथा भू प्रबन्ध के बाद विवादित आराजी पर बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आवंटन का हवाला देकर सैटलमेंट से बने नये खसरा नंबर 117,118,125,व182 रकबा 1.55 है.भूमि पर गैर खातेदारी का नामा. | | |

| | | तारीख हुक्म |
|---|---|---|

संख्या 95 दिनांक 26–5–92 को तथा खातेदारी का नामा.संख्या 111 खोला गया जो अवैधानिक है तथा नियमा के प्रतिकूल है। चूँकि उक्त आराजी बीसलपुर परियोजना क्षेत्र के डूब क्षेत्र में आ चुकी थी तथा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 का प्रकाशन भी हो चुका था किन्तु इसके बावजूद अप्रार्थी को तत्कालीन तहसीलदार देवली ने बिना किसी सक्षम अधिकरी की अनुमति के गैर खातेदार / खातेदारी अधिकार दिये गये जो भी अवैधानिक है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर विवादित नामान्तरकरणों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

7. मैने योग्य अधिवक्तागण की बहस एवं तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

8. प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है किअप्रार्थी को ग्राम छातडी में दिनांक 30–6–63 को आराजी खसरा नंबर 7 में से 10 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी। लेकिन उक्त आराजी पर अप्रार्थीका कब्जा काश्त नही है। सैटलमेंट में उक्त भूमि सिवायचक आई तथा भू प्रबन्ध के बाद विवादित आराजी पर बिना सक्ष्म न्यायालय के आदेश के उक्त आवंटन का हवाला देकर सैटलमेंट से बने नये खसरा नंबर 117,118,125,व182 रकबा 1.55 है.भूमि पर गैर खातेदारी का नामा. संख्या 95 दिनांक 26–5–92 को तथा खातेदारी का नामा.संख्या 111 खोला गया जो अवैधानिक है तथा नियमा के प्रतिकूल है। चूँकि उक्त आराजी बीसलपुर परियोजना क्षेत्र के डूब क्षेत्र की है तथा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 का प्रकाशन भी हो चुका था किन्तु इसके बावजूद अप्रार्थी को तत्कालीन तहसीलदार देवली ने बिना किसी सक्षम अधिकरी की अनुमति के गैर खतोदार व खातेदारी अधिकार दिये गये है जो भी अवैधानिक है, तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

9. फलस्वरूप, यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तत्कालीन तहसीलदार देवली द्वारा अप्रार्थी कल्याण पुत्र भुवना मीणा के पक्ष में स्वीकृत गैर खातेदारी / खातेदारी के नामाकरण संख्या 95 व 111निरस्त किये जाते है।

10. आदेश की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निणित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( मनोज कुमार नाग )**
**सदस्य**